संख्या-12/2023/225 /001-23-सा0-2023

प्रेषक,

अभय कुमार,
विशेष सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता(विकास) एवं विभागाध्यक्ष,
लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

लोक निर्माण अनुभाग-7 लखनऊःदिनांक: 27 मार्च, 2023

विषयः-आर्बीट्रेशन वाद सं0-121/2008, रवि प्रकाश गुप्ता बनाम उ0प्र0 सरकार में पारित एवार्ड दिनांक 02.11.2017 के अनुपालन में डिक्रीटल मद से धनराशि आवंटन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके कार्यालय के पत्रांक-9522बी0जी0/245बी0(09)/2022-23 दिनांक 10.02.2023 एवं पत्रांक-6555/बी0जी0/ 245बी0(09)/2022-23 दिनांक 11.11.2022 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आपके उपर्युक्त पत्रों द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव पर सम्यक विचारोपरान्त श्री राज्यपाल, आब्रीट्रेशन वाद सं0-121/2008, रवि प्रकाश गुप्ता बनाम उ0प्र0 सरकार में पारित एवार्ड दिनांक 02.11.2017 के अनुपालन में धनराशि रू0 3,08,732.00 (रूपये तीन लाख आठ हजार सात सौ बत्तीस मात्र) का आवंटन डिक्रीटल मद से किये जाने की एतद्द्वारा सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

नियम व शर्ते/प्रतिबन्धों

1- सम्बन्धित जनपद के जिलाधिकारी/अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड-2, लो0नि0वि0, बुलन्दशहर द्वारा अन्तिम रूप से भुगतान करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि किसी अन्य योजना/मद से धनराशि का भुगतान पूर्व में याची को नहीं हुआ है।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रूपये 3,08,732(रूपये तीन लाख आठ हजार सात सौ बत्तीस मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2022-2023 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या 058 लेखा शीर्षक 5054808000301 न्यायालयों की डिक्री की धनराशियों के भुगतान हेतु व्यवस्था मानक मद 24 वृहत निर्माण कार्य (भारित) के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-13/2022/बी-1-454 /दस-2022-231/2022, दिनांक-07 जून 2022 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,
अभय कुमार
विशेष सचिव।

संख्या-12/2023/225 /001-23-सा0-2023तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखार, उ0प्र0, प्रयागराज।
2- जिलाधिकारी, बुलन्दशहर।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

3- विशेष सचिव/नोडल अधिकारी, बजट आवंटन प्रणाली, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन।
4- वित्त नियंत्रक, लोक निर्माण विभाग, कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, उ0प्र0, लखनऊ।
5- मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, बुलन्दशहर।
6- मुख्य अभियन्ता (मु0-1/2), लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
7- मुख्य अभियनता, मेरठ क्षेत्र, लोक निर्माण विभाग, मेरठ।
8- अधीक्षण अभियन्ता, बुलन्दशहर वृत्त, लोक निर्माण विभाग, बुलन्दशहर।
9- अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड-2, लोक निर्माण विभाग, बुलन्दशहर।
10- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8, उ0प्र0 शासन।
11- लोक निर्माण अनुभाग-10, उ0प्र0 शासन।
12- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
राजेश प्रताप सिंह
उप सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।